मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेन्सी एरिया, इंदौर

होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक 03/परीक्षा/2013/23.09.2013 | **परीक्षा तिथि 09.03.2014** | **ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27.10.2013**

आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन

महत्वपूर्ण

1. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन-पत्र **दिनांक 28.09.2013 (दोपहर 12.00) से 27.10.2013 (रात्रि 12.00 बजे) तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर भरे जा सकते हैं।
2. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन पत्रों में **दिनांक 06.10.2013 से 29.10.2013 तक** त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटि सुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
3. ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन सरसरी तौर पर अमान्य किये जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।
4. इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित पदों हेतु लिखित परीक्षा **दिनांक 09.03.2014 को (प्रातः 10.00 बजे से 12.00 बजे तक)** इंदौर स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र **दिनांक 16.02.2014 से दिनांक 07.03.2014 तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगे।
5. विज्ञापन के संदर्भ में नवीन सूचनायें आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर प्रसारित की जायेंगी। आवेदक नवीन सूचनाओं हेतु आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **आयुष विभाग, मध्यप्रदेश शासन** के अन्तर्गत निम्न पद हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

पद का नाम	कुल पद	रिक्तियों की वर्गवार संख्या				रिक्तियों में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद				रिक्तियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासी निःशक्त आवेदकों हेतु आरक्षित पद
		अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	अना.	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि.व.	
होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी	**114**	**45**	**21**	**41**	**07**	**14**	**06**	**12**	**02**	**06 अस्थिबाधित**
Homeopathy	104+10		19+2	33+8						अना.-03
Medical Officer	बैकलाग		बैकलाग	बैकलाग						अजा.-01
	सहित		सहित	सहित						अजजा.-02

दो पद का विवरण

(A) विभाग का नाम : **मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग**

(B) श्रेणी : राजपत्रित द्वितीय श्रेणी

(C) पद स्थिति : अस्थायी

(D) वेतनमान : रु. 15600-39100 + 5400/- ग्रेड-पे तथा राज्य शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते देय होंगे।

(E) कर्तव्य : चिकित्सा, स्वास्थ्य संरक्षण एवं सौंपे गए अन्य कार्य।

(F) पद का नाम : **होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी**
Homeopathy Medical Officer

अर्हता : (क) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से होम्योपैथी में

अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता सी.सी.एच. द्वारा मान्य स्नातक उपाधि।

(ख) मध्यप्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित होम्योपैथी परिषद् में पंजीकृत।

(ग) अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाला आवेदक भी आवेदन करने का पात्र होगा, बशर्ते उसे आयोग को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित अर्हता (इंटर्नशिप प्रमाण पत्र सहित) अर्जित करने का सबूत देना होगा।

टीप :- (1) आयोग को साक्षात्कार में शामिल होने के पूर्व अनुप्रमाणन पत्रक, अन्य आवश्यक दस्तावेज के साथ अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता स्नातक उपाधि (इंटर्नशिप प्रमाण सहित) तथा मध्यप्रदेश राज्य में विधि द्वारा स्थापित होम्योपैथी परिषद् में पंजीकृत होने का प्रमाण-पत्र भी उसे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। इसके अभाव में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित नहीं किया जाएगा।

(2) अनिवार्य अर्हता के बिन्दु "ग" के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि केवल वही आवेदक उक्त बिन्दु के अधीन आवेदन के पात्र होंगे जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हो चुके हों।

(G) आयु सीमा : **22 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।**

(H) आयु संगणना तिथि : 01.01.2014

तीन (i) आवेदक के पास उपर्युक्त अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक होना चाहिये आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद किसी भी तिथि को उक्त अर्हताएं, अर्जित करने वाले आवेदक विज्ञापित पदों हेतु विचारित होने की पात्रता नहीं रखेंगे।

(ii) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।

(iii) चयनित आवेदकों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी।

(iv) **किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूलनिवासी महिलाओं के लिये आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।**

(v) **होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु हाथों की निःशक्तता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थिबाधित निःशक्तता न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं अधिकतम 60 प्रतिशत की सीमा में स्वीकार्य है।**

(vi) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित पद केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षित हैं। छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हैं आरक्षण हेतु पात्र नहीं हैं। उन्हें अनारक्षित पदों हेतु विचारित किया जायेगा।

(vii) मध्यप्रदेश के बाहर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार अपना वर्ग अनारक्षित लिखें।

आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिये **परिशिष्ट-1** देखें।

चार मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अन्तर्गत अनर्हता -

अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
परंतु जहां किसी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जायेगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये निरर्हित नहीं होगा।

पाँच महत्वपूर्ण-यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिये आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी।

छः अधिवार्षिकी आयु- 60 वर्ष

सात चयन प्रक्रिया- उपरोक्त पदों पर अंतिम चयन लिखित प्रतियोगी परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्तांकों के आधार पर होगा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के 3 गुना के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्याशियों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के प्रत्याशियों को अंकों में 10 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। इस प्रकार उनके लिये लिखित परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को चयन के लिये अनर्ह माना जायेगा। साक्षात्कार के लिये आवेदकों को बुलाने के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। अर्हताधारी आवेदकों को व्यक्तिगत रूप से साधारण डाक द्वारा पत्र भेजकर/आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in** तथा **www.mppsc.com** पर सूचित किया जायेगा। आयोग की परीक्षा प्रणाली में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना का कोई प्रावधान नहीं है। इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी। **चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम हेतु परिशिष्ट-3 देखें।**

आठ लिखित प्रतियोगी परीक्षा की तिथि तथा केंद्र - लिखित परीक्षा दिनांक 09.03.2014 को (प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक) इंदौर स्थित निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जायेगी। **प्रश्न पत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि के संदर्भ में आवेदक परीक्षा तिथि के 15 दिवस के अंदर अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। उक्त अवधि के बाद प्राप्त अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जायेगी।**

नौ प्रवेश पत्र प्राप्ति प्रक्रिया- लिखित प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र **दिनांक 16.02.2014 से दिनांक 07.03.2014 तक www.mponline.gov.in, www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर उपलब्ध रहेंगे। अर्हताधारी आवेदक अपने प्रवेश-पत्र उक्त वेबसाइटों से डाउनलोड कर सकेंगे। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने हेतु आवेदकों को वेबसाइट में विहित स्थान पर अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक तथा जन्म तिथि की प्रविष्टि करनी होगी। प्रवेश पत्र अन्य किसी भी विधि से आयोग द्वारा उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे।

mponline के अधिकृत कियोस्क के माध्यम से प्रवेश पत्र प्राप्ति हेतु ₹ 5/- पोर्टल शुल्क देय होगा।

दस आवेदन प्रक्रिया - उक्त पद हेतु आवेदन पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किये जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में अंकित वर्तमान पते पर ही आयोग द्वारा समस्त पत्र-व्यवहार किया जायेगा। यदि आवेदक का पता परिवर्तित होता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को चाहिये कि वह अविलंब नये पते की सूचना आयोग को लिखित में प्रस्तुत करें। आवेदक द्वारा पता परिवर्तन की स्थिति में नए पते की सूचना न देने पर समस्त पत्र-व्यवहार पुराने पते पर किया जायेगा जिसके फलस्वरूप आवेदक को पत्रादि प्राप्त न होने की स्थिति हेतु आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संदर्भ में आवेदक का कोई अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा।

बारह आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें -

(i) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-1**

(ii) आवेदन पत्र भरने तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

(iii) लिखित प्रतियोगी परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम **परिशिष्ट-3**

परिशिष्ट-1

(एक) उच्चतम आयु सीमा में वर्ग विशेष को देय छूटें

(1) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के **परिपत्र क्रमांक सी 3-11/12/1/3, दिनांक 03.11.2012** यथा संशोधित परिपत्र क्रमांक सी 3-11/2012/3/एक, दिनांक 20.11.2012 द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष नियत करते हुये निम्नानुसार छूट की गणना अधिसूचित की गयी है :-

1. पुरुष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	40 वर्ष
2. पुरुष आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
3. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष
4. पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग - शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक)	45 वर्ष
5. महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	45 वर्ष
6. महिला आवेदक (शासकीय/निगम/मंडल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक) (विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा)	45 वर्ष
7. महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)	45 वर्ष

विशेष :- सभी प्रकार की छूट को शामिल करते हुये किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) **मध्यप्रदेश शासन के स्थायी/अस्थायी तथा राज्य के निगम, मंडल, परिषद्, नगर निगम, नगर पालिका आदि स्वशासी संस्थाओं में कार्यरत समस्त श्रेणी के कर्मचारी तथा नगर सैनिकों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी। उपरोक्त रियायत कार्यभारित तथा आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में नियोजित कर्मचारियों को भी लागू होगा।**

(3) निःशक्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट देय होगी। **होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु हाथों की निःशक्तता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थिबाधित निःशक्तता न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं अधिकतम 60 प्रतिशत की सीमा में स्वीकार्य है।**

(4) ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की कालावधि (भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवा का योग हो) कम कराने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु इसके परिणामस्वरूप उसकी आयु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य या किसी भी संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में लगातार कम से कम छः मास तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(5) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, किंतु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिये।

स्पष्टीकरण-

मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के नियम 2 (ग) के अनुसार

"2 (ग) भूतपूर्व सैनिकों से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसने संघ के सशस्त्र बलों में जिसमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों के संयुक्त सशस्त्र बल भी सम्मिलित हैं, किसी भी रेंक (लड़ाकू या गैर लड़ाकू) में कम से कम लगातार छः मास की कालावधि तक सेवा की हो और

(एक) जिसे स्वयं के निवेदन पर या अवचार या अक्षमता के कारण पदच्युत या सेवोन्मुक्त किये जाने से अन्यथा निर्मुक्त किया गया हो या ऐसी निर्मुक्ति के लंबित रहने तक रिजर्व में अंतरित किया गया हो, या

(दो) जिसे उपरोक्तानुसार निर्मुक्त या अंतरित किये जाने का हकदार होने के लिये अपेक्षित सेवा की कालावधि पूरी करने हेतु छः मास से अनधिक अवधि के लिये सेवा करनी पड़ी हो।

(तीन) जिसे संघ के सशस्त्र बल में पांच वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् स्वयं के निवेदन पर निर्मुक्त किया गया हो।"

टीप- भूतपूर्व सैनिक की उक्त परिभाषा मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985 के संशोधनों के अधीन रहेगी।

(दो) प्रोत्साहनस्वरूप दी गई छूटें

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रीनकार्डधारी आवेदकों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3-40/आ/84/(3) 1, दिनांक 11 जनवरी, 1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(2) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.6.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जायेगी।

(3) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1, दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीप- (1) परिशिष्ट-1 (दो) के अन्तर्गत प्रोत्साहनस्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अन्तर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूटों का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिये देय छूट मिलेगी।

(2) समस्त आरक्षण तथा उससे जुड़ी आयु सीमा की छूट मध्यप्रदेश राज्य के संदर्भ में है अतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त तथा महिला आवेदकों को देय आरक्षण तथा आयु सीमा की छूट केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को ही देय होगी। अन्य प्रदेशों के उक्त श्रेणी के आवेदक अनारक्षित मान्य होंगे।

(सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्रमांक 969/1197/2012/आ.प्र./एक, दिनांक 06.08.2012 में निहित व्यवस्था के अनुसार)

नोट- (1) उपरोक्त परिशिष्ट-1 (एक) (1 से 5) (दो) (1 से 3) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।

(2) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुये भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदक आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. **होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी** के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
   1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे-
      1. www.mponline.gov.in
      2. www.mppsc.com
      3. www.mppsc.nic.in
2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। mponline के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in, www.mppsc.com तथा www.mppsc.nic.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तथा यूनियन बैंक के नेट बैंकिंग सुविधाधारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें उन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय संलग्न करना होगा। mponline के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में उनके फोटो एवं हस्ताक्षर स्पष्ट हैं।
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिये गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें।
6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है वही प्रामाणिक जानकारी है अतः ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भलीभाँति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात् ही आवेदन Submit करें।
7. आवेदन पत्र Submit करने के बाद खुलने वाले Pop up Window में आवेदक को उसके आवेदन के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी जिसमें उसके आवेदन पत्र क्रमांक का भी उल्लेख होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।
8. **त्रुटि सुधार सुविधा**- आवेदक अपना आवेदन पत्र सावधानीपूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर **दिनांक 06.10.2013 से 29.10.2013** तक प्रति त्रुटि सुधार सत्र, ₹ 50/- त्रुटि सुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा स्वयं अथवा कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटि सुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र की स्थिति में अतिरिक्त आवेदन-पत्रों हेतु जमा शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।

   ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में भरी गयी श्रेणी/वर्ग (अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/निःशक्तजन) आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटि सुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुये नस्तीबद्ध किया जायेगा।
9. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची, तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. परीक्षा तथा आवेदन शुल्क

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों तथा अस्थिबाधित निःशक्त आवेदकों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी आवेदकों हेतु
₹ 90/-	₹ 120/-

उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क ₹ 40/- (सेवा कर सहित) देय होगा।

परीक्षा तथा आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो mponline से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूरभाष क्रमांक (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री)

तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

टीपः- आयोग को प्राप्त शुल्क केवल निम्न परिस्थितियों में ही आवेदक को वापस किया जायेगा :-

01. यदि आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन निरस्त हो जाये अथवा

02. किसी कारण से परीक्षा अथवा चयन की कार्यवाही निरस्त कर दी जाये।

नोटः- यदि आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाये गये दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर

(0731) 2701624, 2701983

एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड, निरूपम शॉपिंग माल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-422026 (0755) 4019401-4019406, काल सेंटर-155343 (टोल फ्री)

तकनीकी समस्या के लिए : बिनोय एम. जॉर्ज (0755) 4019410

3. ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि

(अ) ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की **अंतिम तिथि 27.10.2013** है। अंतिम तिथि को **रात्रि 12.00 बजे** के बाद आवेदन पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जायेगी।

4. आवेदक को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ कोई अभिलेख अपलोड नहीं करने हैं किन्तु साक्षात्कार के पूर्व आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अनुप्रमाणन पत्रक, उपस्थिति पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा आवेदन पत्र की स्वप्रमाणित प्रति के साथ निम्न प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित प्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-

आयु संबंधी प्रमाण के लिये- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मैट्रिक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र जिनमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।

शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण पत्र- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है, के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंकसूचियाँ।

अनुभव के प्रमाण पत्र : अनुभव प्रमाण पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिये। अनुभव प्रमाण पत्र में धारित पद, सेवा, अवधि तथा कार्य के स्वरूप का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिये।

निःशक्तता प्रमाण पत्र : निःशक्त श्रेणी के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडि-2, दिनांक 9.1.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मंडल से प्राप्त नवीनतम (Latest) निःशक्तता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। **होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के पदों हेतु हाथों की निःशक्तता को छोड़कर शेष प्रकार की अस्थिबाधित निःशक्तता न्यूनतम 40 प्रतिशत एवं अधिकतम 60 प्रतिशत की सीमा में स्वीकार्य है।**

जाति के प्रमाण पत्र : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र देने के अधिकृत है अथवा उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आवेदक साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में आवेदक का कोई वचन पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जायेगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। **विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता के नाम उल्लेखित जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जायेगा। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण पत्रों में आय संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। विवाहित महिलाएँ विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें।**

तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।

विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा हेतु उच्चतम आयुसीमा में छूट की पात्रता के लिए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण पत्र।

कार्यरत/छंटनी किये गये शासकीय सेवकों हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु ग्रीनकार्ड।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण पत्र।

परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-3) के अन्तर्गत उच्चतम आयु सीमÉ ¨Éå UôÚ]õ ½äþiÉÖ विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिये विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि, उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिये आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुये कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश** -

ऐसे आवेदक को अपराधिक अभियोजन के लिये दोषी ठहराया जायेगा जिसे आयोग द्वारा निम्नलिखित के लिये दोषी पाया गया हो -

01. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02. प्रतिरूपण किया हो; या
03. किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04. कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05. ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छिपायी हो; या
06. परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07. परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08. परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारीवृंद को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09. उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिये दिये गये किसी भी अनुदेशों या अन्य निर्देशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारीवृंद द्वारा मौखिक रूप से दिये गये अनुदेश सम्मिलित हैं, अतिक्रमण किया हो; या
10. परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11. परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक/परीक्षक को न जमा कराते हुये अपने साथ ले गया हो।

अपराधिक अभियोजन के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अलावा -

(क) आयोग द्वारा उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है, निरर्ह ठहराया जा सकेगा और/या

(ख) उसे या तो स्थाई रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए-

(एक) आयोग द्वारा, ली गई किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किये जाने वाले चयन से;

(दो) राज्य शासन द्वारा उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा; और

(ग) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकेगी किन्तु इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक कि -

(एक) उम्मीदवार को, लिखित में ऐसा अभ्यावेदन जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और

(दो) उम्मीदवार द्वारा उसे अनुज्ञप्त की गई कालावधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार न किया गया हो।

7. **अनर्हताएँ** - ऐसे आवेदकों की उम्मीदवारी निरस्त की जायेगी जिन्हें किसी परीक्षा अथवा चयन से उपरोक्त दर्शित प्रावधानों के तहत विवर्जित किया गया है।

8. **लिखित परीक्षा की पश्चातवर्ती प्रक्रिया के संदर्भ में आवश्यक निर्देश**

1. परीक्षा का परिणाम केवल "रोज़गार और निर्माण" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर प्रकाशित किया जायेगा आवेदक को उसके परिणाम की सूचना अन्य किसी भी रीति से नहीं दी जायेगी तथा न ही इस संदर्भ में कोई अभ्यावेदन मान्य किया जायेगा।
2. परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार के संदर्भ में समस्त आवश्यक सूचनायें प्रकाशित की जायेंगी। अतः सफल आवेदक उनके परीक्षा परिणाम के साथ ही साक्षात्कार से संबंधित समस्त सूचनाओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर उसमें प्रदत्त अनुदेशों के अनुरूप आयोग की वेबसाइट **www.mppsc.nic.in तथा www.mppsc.com** पर उपलब्ध कराये गये अनुप्रमाणन पत्रक, व्यक्तिगत विवरण पत्रक तथा उपस्थिति पत्रक डाउनलोड करके आवश्यक पूर्तियों के पश्चात् एवं सभी आवश्यक अभिलेख संलग्न कर, परीक्षा परिणाम में उल्लेखित साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा करें। अपने ऑनलाइन आवेदन की स्वप्रमाणित प्रति भी उक्त अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें।
3. साक्षात्कार हेतु अभिलेख जमा करने की अंतिम तिथि तक अभिलेख जमा न करने पर आवेदक की उम्मीदवारी स्वयंमेव समाप्त हो जायेगी तथा आयोग द्वारा इस संदर्भ में आवेदक को पृथक से कोई सूचना नहीं दी जायेगी तथा इस संदर्भ में प्राप्त अभ्यावेदनों को विना विचार किये नस्तीबद्ध किया जायेगा।

9. **यात्रा व्यय का भुगतान** -

मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे आवेदकों को जो कहीं सेवारत नहीं हैं, को मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व लिखित परीक्षा हेतु केंद्राध्यक्ष तथा साक्षात्कार हेतु आयोग कार्यालय द्वारा किया जायेगा। आवेदकों को इसके लिये वांछित घोषणा पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित निम्न अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे-

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।

(2) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की तथा किराये की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।

सचिव

परिशिष्ट 3

होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी पद हेतु प्रस्तावित लिखित परीक्षा की योजना

1. केवल एक प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा।
2. प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर A, B, C, D होंगे जिनमें से एक सही होगा।
3. प्रश्न पत्र संबंधित विषय का होगा।
4. प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा जिनमें 100 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा।
5. परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी।
6. प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में होगा।
7. प्रश्नों का अध्याय अनुसार अनुमानित विभाजन निम्नानुसार रहेगा-

S.No.	Scheme of distribution of Marks	Questions
1.	Anatomy	03-05
2.	Physiology	03-04
3.	Pharmacy	03-04
4.	Organon	15-20
5.	Materia Medica	15-20
6.	Pathology	03-05
7.	Forensic Medicine	03-05
8.	Community Medicine	03-05
9.	Surgery	03-05
10.	Gynecology & Obstetrics	03-05
11.	Medicine	12-15
12.	Case taking & Repertorisation	08-10
	Total questions	**100**

Note: Each question carry 2 marks.

साक्षात्कार हेतु आवेदकों की संख्या को सीमित करने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर गुणानुक्रम में प्रत्येक श्रेणी के आवेदकों को पदों की संख्या के तीन गुने के अनुपात में साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। लिखित परीक्षा में सफल होने के लिये प्रत्याशियों को कम से कम 40 प्रतिशत अंक अर्जित करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्त श्रेणी के लिये कम से कम 30 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। साक्षात्कार हेतु 25 अंक निर्धारित हैं। अंतिम चयन परिणाम, लिखित परीक्षा में प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के आधार पर मेरिट क्रमानुसार तैयार किया जायेगा। साक्षात्कार में अनुपस्थित रहने वाले आवेदक पद के लिए अनर्ह होंगे।

SYLLABUS & CURRICULUM

1. Anatomy

A. Superior extremity, inferior extremity, head, neck, thorax, abdomen and pelvic to be studied regionally and systemwise with reference to bones, muscles, joints, arterial supply, venous drainage, lymphatic supply, developmental anatomy and applied.

B. Endocrine organ with special reference to development and applied anatomy.

C. Nervous system - Gross anatomy of brain and spinal cord and the main nerve tracts. The peripheral nerves Cranial nerves their relations course and distributions. Autonomic nervous system-development and anomalies, applied Anatomy.

2. Physiology

Introduction

1. Cell and its components, cell division and tissues like epithelial, connective, muscular and nervous tissue.

Cutaneous system

1. Skin structure and functions.
2. Regulations of boy temperature.
3. Sweat glands- their structures and composition.

Skeleto Muscular system

1. General introduction and classification of muscle fibers, Simple contraction.
2. Excitation-construction coupling and molecular basis of construction.
3. Properties of skeletal muscles.

Circulatory system

1. Composition and functions of blood.
2. Life history of red blood cells and white blood cells, their functions.
3. Coagulation of blood.
1. Heart-Structure, innervation, cardiac cycle, heart sound- their character and causation, properties of cardiac muscle.
2. Heart block and E.C.G. (Normal).
3. Pulse- its normal characters.
4. Blood pressure.

Lymphatic system

Structure of lymphatic gland and vessels, composition of lymph, mechanism of lymph flow.

Respiratory system

1. Structure of trachea, bronchi and lungs.
2. Mechanism of respiration.
3. Pulmonary volumes and capacities.
4. Physical principles of gaseous exchange and transport of respiratory gases.
5. Apnoea, asphyxia, abnormal respiration.

Digestive system

1. Food stuff-vitamins, functions of the oesophagus, stomach, large and small intestine, salivary glands, pancreas, liver.
2. Composition function and regulation of salivary, gastric pancreatic intestinal and biliary's secretions.
3. Movements of G.I. tract.
4. Absorption of food stuff, mechanism of deglutition.
5. Function of liver.
6. General metabolism of fat, carbohydrates and proteins.

Excretory system

1. Structure and function of kidney.
2. Urine, physical character and chemical composition, common and abnormal ingredients.

Endocrine

Structure and functions of Pituitary, thyroid, parathyroid, pancreas adrenal cortex and adrenal medulla.

Reproduction

1. Male and female reproductive organs, fertilization of ovum, mammary gland.
2. Physiology of tests, ovaries, menstruation, pregnancy and lactation.

Nervous system

1. Classification of nerves.
2. The central and autonomic nervous system.
3. Structure and functions of Spinal cord- ascending and descending tracts.
4. Brain- structure and functions of cerebral cortex and cerebellum.
5. Medulla- vasomotor, cardiac and respiratory centers.

Special senses

1. Physiology of taste and smell sensation.
2. Anatomy and functions of external, meddle and internal ear, mechanism of hearing.
3. Structure and functions of different parts of eye ball, vision-formation of retinal image, Mechanism of accommodation, errors of refraction.

3. Homoeopathic Pharmacy

1. General introduction about Homoeopathic pharmacy, pharmacopoeia with reference to its specialty and originality.
2. Scope of Homoeopathic pharmacy in relation to Organon of Medicine, Materia Medica and National Economy.
3. Weights, measures and different homoeopathic scales.
4. Commonly used instruments and appliances.
5. Sources of homoeopathic drugs. Process of collection of drug substances, identification, purification, preservation of poetized drugs.
6. Vehicles.
7. Method of preparation of drugs from organic and inorganic chemicals, vegetables, animals, animal products, diseased products and the view of Hahnemann on it.
8. Methods of preparation of mother tinctures, solutions, potencies and trituration.
9. Fluxion potency, methods of conversion of trituration into liquid form.
10. Scope, preparation and uses of external applications.
11. Prescription writing and validity.
12. Posology, general knowledge of legislation in relation to Homoeopathic Pharmacy.
13. Technique of Homoeopathic drug proving.

4. Organon of Medicine and principles of Homoeopathic Philosophy.

Introduction to science of homoeopathy

1. Definition of homoeopathy and its scientific and artistic approach and methods. Homoeopathy Homoeopathy its holistic, individualistic and dynamic approach to life, health, disease, remedy and cure.
2. Short history of Hahnemann's life and contributions.
3. Brief life and contributions of early pioneers after Hahnemann.
4. History of Homoeopathic Medicine, Homoeopathic Philosophy and Chronic diseases.
5. Brief study of the early history of spread of homoeopathy & Position Homoeopathy in various countries.
6. Hahnemann's Organon of medicine from aphorism 1 to 294.
7. Fundamental Principles of Homoeopathy.
8. Health Hahnemann's and modern concept.
9. Introductory lectures on diseases, their classification, drug diseases and case taking.
10. Guidelines on objectives of analysis and evaluation of symptoms according to different stalwarts in Homoeopathy.
11. Symptomatolog.
12. Homoeopathic philosophy- Kent, Stuart close and H.A. Robert.
13. Selection of potency.
14. Role of diet and regimen, obstacles to cures.

5. Homoeopathic Materia Medica

1. Sources, nature and scope of Homoeopathic Materia Medica.
2. Different ways of studying Homoeopathic Materia Medica.
3. Comparative study of drugs.
4. Applied Materia Medica.
5. Relationship of remedies.
6. Study of Homoeopathic remedies including 12 tissues remedies.

The Homoeopathic Materia Medica contains:-

1. Abies can
2. Abies nig
3. Abroma Augusta
4. Abrotanum
5. Acalypha Indica
6. Acotite. nap.
7. Actea spicata
8. Adonis vernalis
9. Aethusa cyan.
10. Allium Cepa
11. Aloe socotrina
12. Anthracinum
13. Antimonium ars
14. Antimonium crud
15. Antimonium tart
16. Apis malefic
17. Argentum metallicm
18. Argentum nit
19. Arnica Montana
20. Asafoetida
21. Asterins rubens
22. Bacillinum
23. Baryta carb
24. Baryta mur
25. Belladonna
26. Bellis per
27. Benzoic Acid
28. Borax
29. Bovista
30. Bromium
31. Bryonia alb
32. Bufo rana
33. Cactus g
34. Caladium
35. Calcarea ars
36. Calcarea carb
37. Calcarea flour
38. Calcarea phos
39. Calcarea sulph
40. Calendula
41. Calotropis indica
42. Camphora
43. Cannabis indica
44. Cannabis sativa
45. Cantharis
46. Capsicum
47. Carbo animalis
48. Carbo vegitabilis
49. Carbolic acid
50. Carrica papaya
51. Cassia saphora
52. Caulophyllum
53. Causticum
54. Cedron
55. Chamomilla
56. Chelidomium maj
57. Cicuta virosa
58. Cina
59. Clematis
60. Cocculus Indica
61. Coffea cruda
62. Colchium autumn
63. Collinsonia
64. Colocynthis
65. Conduragngo
66. Conium mac
67. Corallium
68. Crataegus
69. Crocus sativa
70. Crotalus hor
71. Croton tig
72. Cuprum met
73. Cyclamen
74. Diaoscorea Villosa
75. Digitalis per
76. Drosear
77. Dulcamera
78. Equisetum
79. Eupatorium per
80. Euphrasia
81. Ferrum met
82. Ferrum phos
83. Ficus religiosa
84. Flouric acid
85. Gelsemium
86. Glonoine
87. Graphitis
88. Helliborus
89. Hellonius
90. Heper sulph
91. Hydrastis can
92. Hydrocotyle as
93. Hyoscymus n
94. Hypelcum
95. Ignatia
96. Iodum
97. Ipecac
98. Jonosla asoka
99. Justicia adhatoda
100. Kali brom
101. Kali carb
102. Kali mur
103. Kali phos
104. Kali Sulph
105. Kalimla latifolia
106. Kreostum
107. Lac can.
108. Lac def.
109. Lacheses
110. Ledum pal
111. Lilium tig
112. Lithium carb
113. Lobelia inf
114. Lycopodium
115. Lyssin
116. Magnesia carb
117. Magnesia mur
118. Medorrhinum
119. Melilotus a
120. Mellifolium
121. Mephitis
122. Mercurius cor
123. Mercurius cynatus
124. Mercurius dull
125. Mercurius sol
126. Mercurius sulph
127. Mezerium
128. Magnesia ph
129. Moschus
130. Murex
131. Muriatic acid
132. Naja t
133. Natrum carb
134. Natrum mur
135. Natrum phos
136. Natrum sulph
137. Nitic acid
138. Nux moschata
139. Nux vomica
140. Occinum Sanct
141. Onosmodium
142. Opium
143. Oxalic acid
144. Patroleum
145. Petroleum
146. Phosphoric acid
147. Phosphorus
148. Physostigma
149. Phytolocca
150. Picric Acid
151. Platina met
152. Plumbum met
153. Podophyllum
154. Psorinum
155. Pulsatilla
156. Pyrogenum
157. Radium bromide
158. Ranunculus bulb
159. Raphanus
160. Rathania
161. Rauwolfia serpentine
162. Rheum
163. Rhododentron
164. Rhus tox
165. Rumex
166. Ruta G
167. Sabadilla
168. Sabal serulatta
169. Sabina
170. Sambucus
171. Sangunaria can
172. Sanicula
173. Sarasaparilla
174. Secale cor
175. Selenium
176. Sepia
177. Syzygium jambolanum

(शेष पृष्ठ 19 पर)

(पृष्ठ 14 का शेष)

178. Silecea
179. Spigelia
180. Spongia tost
181. Squilla
182. Stannum met
183. Staphisagria
184. Sticta p
185. Stramonium
186. Sulphur
187. Sulphuric acid
188. Symphytum
189. Syphylinum
190. Tabacum
191. Taraxacum
192. Tarentula c
193. Teribinthina
194. Thalapsi bursa p
195. Theridion
196. Thuja
197. Thyroidinum
198. Trillium pendulum
199. Urtica urens
200. Vaccinum
201. Vaccinum
202. Variolinum
203. Veratrum alb
204. Veratrum viride
205. Vibrinum opulus
206. Vinca minor
207. Vipera
208. Zincum met.

6. Pathology including Parasitology, Bacteriology and Virology

General Pathology

Inflammation	Oedema	Haemorrhage	Gangrene
Repair, healing injury	Hypertrophy	Shock	Infarction
Immunity	Healing	Atrophy	
Degeneration	Hyperplasia	Hyperemia	
Neoplasm	Anaplasia	Infection	
Thrombosis	Metaplasia	Pyrexia	
Embolism	Ischaemia	Necrosis	

Systemic Pathology

1. Diseases of blood- general consideration, pernicious anaemia, aplastic anaemia, chlorosis and leukaemia.
2. Diseases of circulatory system pericarditis, endocarditis, arterio selerosis, syphilitic aortitis and aneurism.
3. Meningitis.
4. Diseases of respiratory system.
5. Diseases of kidney.
6. Diseases of alimentary tract- peptic ulcer, cholera, typhoid ulcer, tubercular ulcer, amoebic and bacillary dysentery.
7. Cirrhosis of liver.
8. Beribery and epidemic dropsy.

Parasitology

The morphology, pathogenicity and laboratory investigation of the following parasites :-

(I) Entamoeba histolytica
(II) Leishmania donovani
(III) Plasmodium vivax and P. falciparum
(IV) Helmenthis
(V) Spirochaetes of syphilis, Weils disease, Rat bit fever, Ascaria lumbricoids, Wuchereria Bancrofti, Ancylostoma dudodenale, Taenia saginata, T. solium.

Virology

Chicken pox, measles, common cold, Hwerpes zoster, acute poloimyelitis, influenza, hepatitis and primary atypical pneumonia.

Bacteriology

The morphology, biology and pathogenicity of the following micro-organisms :-

a) Sreptococcus, staphylococcus, pneumococcus and gonococcus.
b) Mycobacterium tuberculosis.
c) Bacillus tetanus, B. Typhosa, Bacillus Leprae.
d) B. Pestis, B. Coma.
e) B. Anthrax.

7. Forensic Medicine and Toxicology

1. **Legal Procedure**
   Definition of Medical Jurisprudence, Courts and their jurisdiction.
2. **Medical Ethics**
   Law relating to medical registration and Medical relation between practitioners and the State. The Homoeopathy Central Council Act, 1973 and the code of Ethics under it, the Practitioners and the patients, Malpractice's covering professional Secrecy, the practitioner and the various legislation's (Acts) Provincial and Union such as Workman's Compensation Act, Public Health Act, Injuries Act, Child Marriage Registration Act, Borstal Schools Act, Medical Termination of Pregnancy Act, Lunacy Act, Indian Evidence Act, etc.
3. **Forensic Medicine**
   Examination and identification of person living and dead; parts, bones, stains etc. health medicolegal: putrefaction, Mummification's saponification, forms of death, causes, agencies, onset etc. Assaults, wounds, injuries and death by violence, Asphyxial death, blood examination, blood stains seminal stains, burns, scalds, lighting stroke etc. starvation, pregnancy, delivery, abortion, Infanticide, Sexual Crimes, Insanity in relation of the State life and accident insurance.
4. **Study following poisons :-**
   Mineral acid, corrosive sublimate, arsenic and compound, alcohol, opium and its alkaloids, carbolic acid, carbon mono oxide, carbon di oxide, kerosene oil, cannabis indica, cocaine, belladonna, strychnine, nux vomica, aconite, oleander, snake poison, prusic acid and lead poisoning.

8. Preventive and Social Medicine

1. **Introduction to preventive and social medicine concept,** man and society aim and scope of preventive and social medicine, social causes of disease and social problems or the sick relation of economic factors and environment in health and disease.
2. **Physiological hygiene :-**
   (a) Food and nutrition food in relation to health and disease. Balanced diets Nutritional deficiencies and nutritional survey, Food processing pasteurization of milk. Adulteration of food and food inspection, food poisoning.
   (b) Air, light and sunshine.
   (c) Effect of climate, humidity, temperature, pressure and other meteorological conditions comfort zone effect of overcrowding.
   (d) Personal Hygiene- (Cleanliness, rest, sleep, work) physical exercise and training care of health in tropics.
3. **Environmental sanitation :-**
   (a) Definition and importance.
   (b) Atmospheric Pollution, purification of air, air sterilization, air borne diseases.
   (c) Water supplies- sources and uses, impurities and purification. Public water supplies in urban and rural areas. Standards of drinking water, water borne disease.
   (d) Conservancy methods in villages, towns and cities. Septic tanks, dry earth latrines. Water closets, disposal of sewage, disposal of the dead, disposal of refuge and incineration.
   (e) Sanitation of fairs and festivals.
   (f) Disinfections- disinfectants, deodorants, antiseptics germicides. Methods of disinfections and sterilization.
   (g) Insects insecticides and disinfection insects in relation of disease insect control.
   (h) Homoeopathic point of view regarding prophylaxis and vaccination.
4. **Medical Statistics :-**
   Principles and elements of vital statistics.
5. **Preventive Medicine**

(a) **General principles of prevention and control of communicable diseased** plague, cholera, Small pox, diphtheria, Leprosy, Tuberculosis, Malaria, kala-Azar, Filariases common viral diseases e.g. Common Cold Measles, Chicken Pox, Poliomyelitis, infective hepatitis. Helminatic infections, enteric fever, dysenteries and also animal diseases transmissible to man. Their description and methods of preventive spread by contact, by droplet infection by environmental vehicles (water, soil, food insects animals, founderies prophylaxis and vaccination.
(b) General Principles of prevention and control of non-communicable diseases e.g. obesity, hypertension etc.

6. **Family Planning**- Demography, Channels of communication, National family planning programme, knowledge, attitudes regarding contraceptive practices, population and growth control.

9. Surgery

1. Basics of general surgical procedures.
2. Inflammation infections (Specific and Non-specific suppuration, Bacteriology, Immunity).
3. Injuries of various kinds wound healing and management including ulcers sinuses, Gangrene, etc.
4. Hemorrhage, shock, their management.
5. Resuscitation and support in emergencies.
6. Accidents and Warfare injuries management.
7. Burns Management.
8. Fractures and dislocation general principles.
9. Diseases of the joints specially hipjoint.
10. Diseases of the joints general principles including rheumatology.
11. Diseases of the muscles tendons fascia etc. general principles.
12. Diseases of the arteries General principles.
13. Diseases of the veins general principles.
14. Diseases of the lymphatic system general principles.
15. Diseases of the nerves general principles.
16. Immunology general organ rejection transplants etc.
17. Oncology tumors cysts etc. general principles of management.
18. Congenital disorders orientation and correction procedures.
19. Surgical Diseases of the infancy and Childhood.

The above has to be followed up with relevant systemic surgery topics so at to cover :

1. All common clinical conditions of various parts.
2. Their evolution, examination methods and diagnosis.
3. Their investigations and prognosis.
4. Their management especially principles.
5. Relevant minor surgical procedures.
6. Preventive aspects.

Orthopaedics:

Study as above about injuries, inflammation ulcer, sinus, tumors, cysts etc. (related to common condition of all bones and joints including spine) with relevant management, correlating with physiotherapy etc.

Ophthamology:

Knowledge of common disease, accidents, injuries etc. of various parts of Eyes, Clinical Examination of Eye (Various Parts) using Various instruments including ophthamoscopy.

Otorhinolaryngology (ENT) - common disorders.

Management of Common Surgical Procedures and emergency procedures.

10. Obstetric and Gynaecology

Obstetrics

1. A review of the Applied Anatomy.
2. A review of the Applied Physiology.
3. Development of the Intra Uterine Pregnancy.
4. Diagnosis of Pregnancy.
5. Antenatal care.
6. Abnormal Pregnancy Introduction.
7. Normal Labour
8. Abnormal Labour
9. Post natal care
10. Abnormal pregnancies :- Abortion, Molar Pregnancy, Extra Uterine, Diseases of placenta and membrane, Toxemia of Pregnancy, Antepartum Hemorrhag, Disorders of Genital tract Retroversion, Prolapse, Tumors etc. Multiple Pregnancy, Protracted gestation.
11. Common disorders and systemic diseases associated with Pregnancy.
12. Abnormal labour- Position and Presentation, Twins, Prolapse of Cord and limbs, abnormalities in the action of the Uterus Abnormal condition of soft parts contracted pelvis, obstructed labour, Complications of third stage of labour, injuries of birth canals.
13. Abnormal Puerperal infections etc.

Gynaecology

1. Applied anatomy and physiology.
2. Gynaecological Examination.
3. Developmental abnormalities.
4. Uterine displacements.
5. Inflammation, Ulceration and traumatic lesions of the female genital organs, malignant/non-malignant Growths.
6. Neonatal hygiene.
7. Breast feeding, artificial feeding.
8. Management of premature child, Asphyxia, Birth injuries, Common disorders of new born.

11. Practice of Medicine

1. Fevers- common types, caused by protozoal infection (malaria, black water fever, leishmaniasia, kala-azar) bacterial infection (cerebrospinal fevers, enteric group of fevers, becilus coli infection, spirochaetal infection, syphilis), viral infection (measles, chicken pox, dengue), physical and chemical agents, unknown aetiology, septicimea, pyaemia, erysipelas and plague.
2. Diseases of alimentary tract.
3. Hematological Diseases.
4. Cardiovascular system diseases.
5. Diseases of Kidney & urinary Tracts.
6. Diseases of Water and Electrolytes balance.
7. Connective Tissue Disorders.
8. Skin Diseases.
9. Endocrinal diseases.
10. Diseases of CNS & peripheral nervous system and mental diseases.
11. Acute Emergencies including Poisonings.
12. Paediatrics.

12. Homoeopathic Repertory

Case taking

Difficulties of taking a chronic case. Recording of cases and usefullness of record keeping. Totality of symptoms, Prescribing symptoms, uncommon, peculiar and characteristic symptoms. Analysis of the cases, uncommon and common symptoms, Gradation and evaluation of symptoms. Importance of Mental symptoms. Kinds and sources of general symptoms. Concomitant symptoms.

1. History and development of repertories till date.
2. Types of repertories.
3. Kent's repertory, Boenninghausen's therapeutic pocket book and Boger Boenninghausen's repertory.
4. Card repertory - limitations and advantages.
5. Introduction to computer Repertorization.